

समाहरणालय, बक्सर
(नजारत शाखा)

जिला अतिथिगृह के संचालन के लिए आउटसोर्सिंग हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

सरकार के अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 14211 दिनांक 27.12.2011 तथा उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 7751 दिनांक 10.08.2010 के आलोक में जिला अतिथि गृह, बक्सर के आउटसोर्सिंग के माध्यम से सुचारु रूप से संचालन हेतु तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग - अलग बंद लिफाफे में दिनांक 19.05.2016 के 1.00 बजे अप० तक निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा दिनांक 19.05.2016 को ही 4.00 बजे अप० में अधोहस्ताक्षरी के अध्यक्षता में जिला क्रय समिति के समक्ष खोली जाएगी।

निविदा की शर्तें :-

1. आंतरिक साफ - सफाई जिसके अन्तर्गत कमरों एवं पूरे परिसर की सफाई शामिल होगी। इस कार्य के लिए कम से कम 6(छ) मजदूर रखना होगा। माली, गेट कीपर, रिसेप्सनिस्ट, विद्युत मिस्त्री, कुक के रूप में अलग से अनुभवी व्यक्ति को रखना होगा।
2. जिला अतिथि गृह के लॉन, बगीचा आदि की सफाई एवं रख - रखाव, बगीचा में फूल एवं घास आदि का रख - रखाव।
3. हाउस कीपिंग से संबंधित निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे :-
 - क. जिला अतिथि गृह में लगे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं विद्युतीय उपकरणों का रख - रखाव तथा सभी कमरों में ई०पी०ए०बी०एक्स / इन्टर कॉम / ए०सी० / टी०वी० / गिजर / डी०जी०सेट का रख - रखाव / डीस का परिचालन, स्वीकृत निविदा दाता द्वारा 35 KVA का अतिरिक्त ध्वनि रहित डी०जी० सेट अधिष्ठापित करना अनिवार्य होगा।
 - ख. अतिथि गृह के फर्नीचर आदि की मरम्मत एवं रख - रखाव।
 - ग. अतिथि गृह में ढहरे हुए अतिथियों के लिए प्रसाधन की वस्तुएँ यथा - साबुन, तेल, शैम्पू, तौलिया आदि की आपूर्ति।
 - घ. बेडशीट, मच्छरदानी, पर्दा, तकिया इत्यादि की आपूर्ति एवं इनकी सफाई / धुलाई।
4. निर्बाध विद्युत की व्यवस्था।
5. अतिथियों के लिए चाय, नास्ता एवं भोजन आदि की निर्धारित दर पर व्यवस्था करना एवं भोजन पकाने के लिए आवश्यक व्यवस्था करना। कुक रखना अनिवार्य होगा।
6. उपर्युक्त कार्यों के लिए तकनीकी एवं वित्तीय निविदा दो अलग-अलग मुहर बंद लिफाफे में स्वीकार किया जायेगा। तकनीकी लिफाफे में निम्न कागजात संलग्न किया जाना आवश्यक होगा -

1. अग्रधन के रूप में 20000.00 (बीस हजार रु0 मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जिला पदाधिकारी, बक्सर के पदनाम से मूल में संलग्न करना आवश्यक होगा।
2. निविदादाता के संस्था या फर्म का अद्यतन आयकर रिटर्न, आयकर से संबंधित चैन कार्ड एवं सेवाकर निबंधन से संबंधित प्रमाण पत्र की स्वहस्ताक्षरित छयाप्रति तथा काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (कार्यपालक दण्डाधिकारी अथवा नोटरी) संलग्न करना आवश्यक होगा। संस्था या फर्म का उद्योग विभाग / श्रम विभाग या निबंधन महानिरीक्षक कार्यालय का निबंधन प्रमाण पत्र की छयाप्रति संलग्न करना होगा। संबंधित संस्था / व्यक्ति का वार्षिक टर्न ओवर / स्वच्छता अंकित करना होगा।
3. निविदाता को किसी संस्थान / प्रतिष्ठान में कैटरिंग / हाउसकिपिंग का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव होना आवश्यक होगा।

वित्तीय निविदा अलग लिफाफे में निम्न प्रकार रहेगी -

1. हाउस किपिंग, साफ - सफाई, इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य उपकरणों के रख-रखाव इत्यादि के संबंध में, वर्दी में सेवा देने वाले कर्मियों की संख्या एवं उन्हें मासिक भुगतान का ब्यौरा सभी करें सहित विहित प्रपत्र में संलग्न करना होगा -

विहित प्रपत्र

क्र0	कार्य का विवरण	दर (प्रतिमाह) रु0 में	अभ्युक्ति
01	Proposed Manpower (Sweeper, Mali, Cook, Cook Helper, Waiter, Supervisor, Generator, Washer man etc.) कर्मियों की संख्या एवं भुगतेय राशि - श्रेणीवार		
02	Proposed Material Price (House Keeping Material, Mali Items, Guest Toiletry Expenses, Washing etc.)		
03	Proposed General Maintains (Electricity, Furniture, General Maintains with equipment.)		
04	Generator Maintenance With Fuel		
05	Generator Maintenance Without Fuel		
Total			


वित्तीय लिफाफा में उपर्युक्त विहित प्रपत्र में उपरोक्त सेवाएँ देने के एवज में मासिक राशि Quote करनी होगी।

7. किसी सरकारी संस्था / गैर सरकारी निबंधित संस्था से संबंधित कार्य (कैटरिंग एवं साफ-सफाई) में एक वर्ष का अनुभव प्रमाण-पत्र देना होगा।
8. अतिथि गृह में भोजन, चाय आदि से होने वाली आय संचालन संस्था को दी जाएगी।
9. जिला प्रशासन की ओर से केयर टेकर प्रतिनियुक्त किया जायेगा, जो संचालन व्यवस्था की निगरानी करेगा।
10. अतिथि गृह कमरों का आरक्षण पूर्वत जिला प्रशासन द्वारा किया जायेगा। किराये से प्राप्त राशि सरकारी खजानों में जमा की जाएगी।
11. किसी भी निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने का सर्वाधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास पूर्णतः सुरक्षित रहेगा। निविदा स्वीकृत होने पर एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा करना अनिवार्य होगा।

4


12. सामग्री की आपूर्ति निर्धारित मापदंड / गुणवत्ता, मात्रा एवं दर के अनुरूप करनी होगी अन्यथा समानुपातिक रूप से विपत्र से कटौती करते हुए भुगतान की जायेगी।
13. न्यूनतम मासिक दर वाले निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने तथा आदेश प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर आउटसोर्सिंग के माध्यम से जिला अतिथि गृह, बक्सर को सूचारु रूप से संचालन का कार्य प्रारम्भ कर देना होगा। निविदादाता के द्वारा अपने कर्मियों को यूनिफार्म में रखना अनिवार्य होगा। यूनिफार्म में नहीं पाए जाने पर मासिक विपत्र से समुचित राशि की कटौति कर ली जाएगी।

विशेष जानकारी के लिए वेबसाईट www.buxar.bih.nic.in पर देखा जा सकता है तथा किसी भी कार्य दिवस में नजारत उपसमाहर्ता, बक्सर से सम्पर्क किया जा सकता है।


रमण कुमार, भा० प्र० से०
जिला पदाधिकारी,
बक्सर

ज्ञापांक ०४-०३३४.../नजा०, बक्सर, दिनांक ३०.४.२०१६

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को निविदा की ०५ (पाँच) हॉर्ड प्रतियाँ एवं सॉफ्ट प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उपर्युक्त निविदा सूचना को दो प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।


30.4.16
रमण कुमार, भा० प्र० से०
जिला पदाधिकारी,
बक्सर